न्यायालयकलेक्टरएवं जिला दण्डाधिकारी,जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

आगर-सारंगपुर रोड, आगर-मालवा, 465441 फोन नं.(O) 07362-259100,(Fax)260700
E-mail: dmagarmalwa@nic.in, Website:- www.agarmalwa.mp.gov.in

क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 121 आगर-मालवादिनांक 25/03/2020

::संशोधित आदेश::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस **COVID-19** बीमारी को **WHO** द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थएक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है। विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त जानकारी के अनुसार एवं राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से भी आम नागरिकों का आवागमन को एवं स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आगरमालवा जिले में **कार्यालयीन आदेश क्रं/एस.डब्ल्यू/2020/108 दिनांक 23.03.2020 एवं क्रं/एस.डब्ल्यू/2020/113 दिनांक 24.03.2020 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।**

2. परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मैं, **संजय कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला आगर-मालवा**, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित एवं कोरोनावायरस के संक्रमण से जान माल को सुरक्षित रखने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रं 108/2020/डब्ल्यू.एस/दिनांक 23.03.2020 एवं **क्रं/डब्ल्यू.एस/2020/113 दिनांक 24.03.2020** में आंशिक संशोधन करते हुए जिला आगर-मालवा मे निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ:-

1. ***जिले में तत्काल प्रभाव से "टोटल लॉकडाउन" घोषित किया जाता है, टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।***
2. ***जिले की सभी सीमाऐं सील की जाती है, किसी भी माध्यम से जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है।***
3. ***जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।***
4. ***जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किये जाते है, अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, जेल, आपदा प्रबंधक सेवाएं, एन.आई.सी., पोस्ट आफिस, कोषालय, कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान,वेतन,मानदेय आदि हेतु) बैंक, एटीएम आदि इससे मुक्त रहेंगे।***
5. ***आगर शहर हेतु (जो घरों से बाहर न आ सके) मेडिकल सामग्री एवं किराना सामग्री हेतु कंट्रोल रूम नं. 07362-292100, 292101 पर कॉल करने पर सामग्री यथाशीघ्र मेडिकल एवं किराना दुकान के माध्यम से आपके घर पर पहुचा दी जावेगी ।***

.....................*निरंतर*

Scanned with CamScanner

6. दुध की समस्त दुकाने एवं प्रायवेट डेयरी प्लांट प्रतिबंधित रहेगे मात्र सांची डेयरी ही प्रतिबंध से मुक्त रहेगा जो कि प्रातः 07 बजे से 11 बजे तक तक चालु रहेगी एवं गांव से शहर की ओर कैन के माध्यम से दुध लाने एवं वितरण को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
7. सब्जी एवं फल की दुकाने, पेट्रोलपंप, गैस सिलेण्डर वितरण कंपनी, किराना दुकान, प्रातः 10 बजे से 04 बजे तक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगे एवं शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते है।
8. जिले में संचालित समस्त निर्माण कार्यो को प्रतिबंधित किया जाता है।
9. जिले में संचालित समस्त लोक परिवहन सेवाऐं जिसमें निजी बसें,ऑटो, टेक्सी, रिक्शा, ई-रिक्शा, इत्यादि को बन्द किया जाता है।
10. प्रातः सैर एवं पार्क/गार्डन,जीम आदि में घुमना प्रतिबंधित किया जाता है।
11. दो पहिया वाहन (टू-व्हिल्र) पर एक से अधिक सवारी को प्रतिबंधित किया जाता है।
12. किसी भी तरह के अंतिम संस्कार की परिस्थिति में 20 से ज्यादा व्यक्तियों का इकठ्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा।
13. अस्पताल एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी संस्था जिनमें दवाई निर्माण एवं वितरण ईकाईयां, सरकारी एवं निजी जैसे की डिस्पेसरी, रासायनिक, एवं स्वास्थ्य उपकरण दुकान, प्रयोगशाला, क्लिनिक, नर्सिंग होम (नर्स, पेरा मेडिकल स्टाफ) इत्यादी कार्य करते रहेगे।
14. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।
15. निजी सुरक्षा सुविधाएं उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
16. सभी व्यक्ति घरों में बाहर से आने वाली वस्तुएं यथा वाटर केम्पर, अखबार इत्यादि को उपयोग से पहले सेनेटराइज कर ले या सेनेटराइज ना होने की स्थिति में उपयोग के बाद अपने हाथों को सेनेटराइज करें।
17. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रायोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
18. घर-घर जाकर न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06:30 से 09:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
19. अति आवश्यक होने पर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही, परिवार से एक व्यक्ति ही सीमित समय हेतु निकल सकेगा तथा खरीदारी करते समय क्रम बध्द रूप से एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाते हुए कतार में रहे तथा दुकानों के बहार, चौराहों आदि पर अनावश्यक भीड के रूप में रहना प्रतिबंधित होगा।
20. जिले में बाहर से आने वाले शासकीय वाहन, जिले में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के निजी वाहन, शासकीय कार्य या अत्यावश्यक वस्तुऐं यथा डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेण्डर, दूध, सब्जियों, मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयॉ इत्यादि को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।
21. आवश्यक वस्तुओं, खाद्य वस्तुए, दवाईयॉ आदि उत्पादन करने वाले उद्योगो एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एस.डी.एम. कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबध्द से मुक्त रहेगें।

....................निरंतर

Scanned with CamScanner

22. *अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने पर ही अनुमति होगी।*

23. *उपरोक्तानुसार जिन संस्थाओं को मुक्त किया गया है वे सभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर ही इस आदेश से मुक्त रहेगें।*

3. उक्त आदेश दिनांक **26/03/2020 को प्रात: 07 बजे से 14/04/2020 को रात्रि 12 बजे** तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि मे इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आकर सम्बंधित के विरूद्ध अभियोजन किया जावेगा।

4. यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है। परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जा सके। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिती में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-134 (2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत करावें।

6. यह आदेश दिनांक **25.03.2020** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी * जिला आगर-मालवा *

(संजय कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
आगर-मालवा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

पृष्ठांकनक्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 122

आगर-मालवा दिनांक 25 /03/2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग,भोपाल।
2. आयुक्त,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. पुलिस महानिरीक्षक,उज्जैन रेंज,उज्जैन।
4. पुलिस अधीक्षक,जिला आगर-मालवा।
5. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), आगर-बडौद/सुसनेर-नलखेडाजिला आगर-मालवा की ओर पालनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस),आगर-बडौद/सुसनेर-नलखेडाजिला आगर-मालवाकी ओर पालनार्थ ।
7. थाना प्रभारी,पुलिस थाना,आगर/बडौद/सुसनेर/नलखेडा/सोयतकलां/कानडजिला आगरमालवा।

Scanned with CamScanner

8. तहसीलदार एवं कार्यपालिकदण्डाधिकारी, तहसील आगर/बडौद/सुसनेर/नलखेडाजिला आगर-मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. सहायक संचालक,जनसंपर्क विभाग,जिला आगर-मालवा की ओर प्रकाशनार्थ।

10. नियंत्रण कक्ष क्रमांक 236 संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय आगर-मालवा

11. गार्ड फाईल।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला आगर-मालवा(म.प्र.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला आगर-मालवा

Scanned with CamScanner